

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 10.06.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. ' उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा '

दिनांक 10.06.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1202/09 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)X SC/ST Act से सम्बन्धित प्रकरण में जनपद के टॉप-टेन अपराधी 02 नफर अभियुक्त 01.अंगद राय पुत्र सर्वदेव राय नि0 ग्राम शेरपुर थाना भाँवरकोल जनपद गाजीपुर 02.उमेश उर्फ गोरा राय पुत्र मुक्तेशवर राय निवासी तमलपुरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 504 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 3(1)X SC/ST Act में 05 वर्ष का कारावास व 10000-10000 रु0 का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

02. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा भिन्न-भिन्न मुकदमों में 03 नफर अभियुक्त की सफल गिरफ्तारी।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के निकट पर्यवेक्षण में थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/24 धारा 363,366,376 भादवि व 5(ठ)/6 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 विरुद्ध अनिरुद्ध राजभर पुत्र घुरहू राजभर निवासी चकमुकरी थाना बरेसर जनपद गाजीपुर व मु0अ0सं0 51/24 मे धारा 363 ,366,376 भादवि व 5(ज)(2)/ठ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 विरुद्ध अभियुक्त रवि कुमार गोड पुत्र मीरालाल गोड़ व सचिन पुत्र बबलू गोड़ निवासीगण तिलठिया सिपाह थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता/ आपराधिक इतिहास

1.अनिरुद्ध राजभर पुत्र घुरहू राजभर निवासी चकमुकरी थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र 16 वर्ष का आपराधिक इतिहास निम्नवत है-

1. मु0अ0सं0 50/24 धारा 363,366,376 भादवि व 5(ठ)/6 लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0
थाना बरेसर

2. रवि कुमार गोड पुत्र मीरालाल गोड़ उम्र 20 वर्ष व सचिन पुत्र बबलू गोड़ उम्र 17 वर्ष निवासीगण तिलठिया
सिपाह थाना बरेसर जनपद गाजीपुर का आपराधिक इतिहास निम्नवत है-

1. मु0अ0सं0 51/24 मे धारा 363 ,366,376 भादवि व 5(ज)(2)/ठ/6 लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण
अधि0

1) गिरफ्तारी का दिनांक व समय- दिनांक 10.06.2024 , 05.30 बजे

2) गिरफ्तारी का स्थान- अलावलपुर बरेसर मार्ग पर तिलठिया जाने वाला तिराहा थाना बरेसर जनपद
गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर